"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2015—— आश्विन 23, शक 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-11/2015/नौ/55-4. — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 59 के उप-नियम (1) एवं नियम 67ए के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-11/2014/नौ/55, दिनांक 19 जनवरी, 2015 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ में कार्यरत निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को, छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त नियम के भाग छ: एवं छ:(ए) के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती हैं, अर्थात् :-

1. श्री संजय सिंह झड़ेकार
2. श्री कमलकान्त पाटनवार
3. श्री हिरेन मनु भाई पटेल
4. श्री राजेश क्षत्री
5. श्री राजकुमार अग्रवाल
6. श्री संजय राजपूत
7. श्रीमती मीनाक्षी वैष्णव
8. श्रीमती तृप्ति जैन
9. श्री बसन्त कुमार कौशिक
10. श्री बेनी राम साहू
11. श्री रविन्द्र कुमार गेंदले
12. श्री भीष्म देव सिंह कंवर
13. श्री महेश कुमार नागवंशी
14. श्री संजय कुमार नेताम
15. श्री प्रीतम ओगरे
16. श्रीमती रमिला भगत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 25-11/2015/नौ/55-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, उप-सचिव

Raipur, the 15th October 2015

NOTIFICATION

No. F 25-11/2015/IX/55-4. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of 67A of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945 and in pursuance of the Department's previous Notification No. F 25-11/2014/IX/55, dated 19 January, 2015, the State Government, hereby, appoints the following Drugs Inspectors working in the Food and Drugs Administration, Chhattisgarh to act as Licensing Authority for the purposes of Part VI and VI(A) of the said Rules in the State of Chhattisgarh, nemely :-

1. Shri Sanjay Singh Jhadekar
2. Shri Kamalkant Patanwar
3. Shri Hiren Manu Bhai Patel
4. Shri Rajesh Chhatri
5. Shri Rajkumar Agrawal
6. Shri Sanjay Rajput
7. Smt. Minaxi Vaishnav
8. Smt. Tripti Jain
9. Shri Basant Kumar Kaushik
10. Shri Beni Ram Sahu
11. Shri Ravindra Kumar Gendle
12. Shri Bhishm Dev Singh Kanwar
13. Shri Mahesh Kumar Nagwanshi
14. Shri Sanjay Kumar Netam
15. Shri Pritam Ogrey
16. Smt. Ramila Bhagat

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. VERMA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.